

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

जिला नगर योजनाकार,
रोहतक ।

सेवा में,

जिलाधीश,
रोहतक ।

यादी क्रमांक 781 दिनांक 6-1-04

विषय:- अनापति प्रमाण पत्र पेट्रोल पम्प लगाने हेतु गांव मदीना,
रोहतक ।

हवाला:- आपके पत्र क्रमांक 639-644 दिनांक 19.3.04 के तन्दर्भ में ।

उपरोक्त विषय पर हवालाधीन पत्र के तात्थ प्राप्त कागजात का अध्ययन करने उपरान्त सूचित है कि:-

1. दल का स्थल छातरा नं० 128/8/2, 13 है रक्बा 4 कनाल ।। मरले गांव मदीना गिदराण इत विभाग द्वारा घोषित नियन्त्रित क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से बाहर पडता है ।
2. स्थल को रोहतक हितार राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से पहुंच प्राप्त है । अतः पहुंच बारे अनुमति न भूतल परित न मन्त्रालय नई दिल्ली से प्राप्त करेगा तथा 30 मी० की वर्जित पट्टी में कोई निर्माण नही करेगा ।

NOC may be issued subject to condition no 2

यह प्रमाण पत्र अन्य किसी विभाग के नियमों पर प्रभावी नही होगा ।

जिला नगर योजनाकार,
रोहतक ।

सहायित
Blue Copy Attached



06 JUN 2020